

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि

पत्र संख्या- ICDS/20020/05-2018/ 1182 / (आवंटनादेश संख्या 163/2018-19)

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.
निदेशक, आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 27/02/2019

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि (विपत्र कोड 51-2235021020322) से आँगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अन्तर्गत सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को स्थापना मद के अन्तर्गत सामग्री एवं पूर्तियों मद (स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु) में ₹5,95,20,888/- (₹ पाँच करोड़ पंचानवें लाख बीस हजार आठ सौ अठासी) मात्र का आवंटन।

महाशय,

समाज कल्याण विभाग के स्वीकृतादेश पत्र सं०-03 दिनांक 18.04.18 एवं 26 दिनांक 24.08.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि से आँगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अन्तर्गत सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को स्थापना मद के अन्तर्गत सामग्री एवं पूर्तियों मद (स्कूल पूर्व शिक्षा के अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु) में संलग्न विवरणी के अनुसार ₹5,95,20,888/- (₹ पाँच करोड़ पंचानवें लाख बीस हजार आठ सौ अठासी) मात्र आवंटित की जाती है।

2. समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 5781 दिनांक 14.12.2018, "समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय), जिला स्तर पर 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं परियोजना स्तर पर 544 बाल विकास परियोजनाओं में सृजित विभिन्न पदों की स्थापना का दिनांक 31.03.2019 तक अवधि विस्तार करने एवं विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय करने की स्वीकृति" के आलोक में व्यय योग्य राशि की निकासी की जा सकेगी।

3. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है।

4. कुल भारित व्यय की राशि ₹5,95,20,888/- (₹ पाँच करोड़ पंचानवें लाख बीस हजार आठ सौ अठासी) मात्र माँग संख्या-51 के अधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के मुख्य शीर्ष "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0322-एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)" विपत्र कोड-51-2235021020322, PFMS Code-9281, विषय शीर्ष-(0322.21.01) सामग्री एवं पूर्तियों के अन्तर्गत विकलनीय है।

5. बिहार वित्तीय नियमावली में निहित सुसंगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात केन्द्रांश:राज्यांश (60:40) में आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन की व्यक्तिगत जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्र सं०-964 दिनांक 18.02.19 के आधार पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन सुनिश्चित करेंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम अनुपूरक आगणन 91D से ₹250,00,00,000/- (₹ दो सौ पचास करोड़) मात्र की राशि प्राप्त है।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु वित्त विभाग का पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 3758/वि० दिनांक 31.05.2017, 378/वि० दिनांक 16.01.2018, 354/वि० दिनांक 28.03.2018, 3244/वि० दिनांक 04.05.2018, 662/वि० दिनांक 02.08.2018, 6903 दिनांक 13.09.2018 एवं समय समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश लागू होंगे।

9. यह चालू योजना है, अतः इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. महालेखाकार, बिहार, पटना एवं संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गयी है।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

(आलोक कुमार)

निदेशक, आई.सी.डी.एस.

ज्ञापांक : ICDS/20020/05-2018/ 1182 /दिनांक : 27/02/2019

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/अपर मुख्य सचिव एवं वजट शाखा, समाज कल्याण विभाग/सहायक निदेशक-सह-प्रभारी पदाधिकारी ECCE, आई.सी.डी.एस. निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक : ICDS/20020/05-2018/ 1182 /दिनांक : 27/02/2019

प्रतिलिपि- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)

निदेशक, आई.सी.डी.एस.

(Handwritten Signature)

निदेशक, आई.सी.डी.एस.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाड़ी सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) अंतर्गत स्थापना मद में सामग्री एवं पूर्तियाँ मद से स्कूल पूर्व शिक्षा अंतर्गत ECCE प्रशिक्षण हेतु सभी 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश (40%) राशि मद में आवंटित राशि की विवरणी:-

(राशि रु. में)

क्र0	जिला का नाम	आवंटित राशि सामग्री एवं पूर्तियाँ मद ECCE प्रशिक्षण हेतु (0322.21.01)
1	2	3
1	अररिया	14,72,900
2	अरवल	59,668
3	औरंगाबाद	14,45,032
4	वांका	11,50,452
5	वेगुसराय	18,78,952
6	भागलपुर	16,83,876
7	भोजपुर	16,28,140
8	बक्सर	8,71,772
9	दरभंगा	24,12,376
10	पुर्वी चम्पारण	31,40,876
11	गया	25,11,880
12	गोपालगंज	16,56,008
13	जमुई	8,71,772
14	जहानाबाद	3,66,216
15	कैमुर	7,16,532
16	कटिहार	19,06,820
17	खगडिया	7,16,532
18	किशनगंज	8,00,136
19	लखीसराय	3,10,480
20	मधेपुरा	10,66,848
21	मधुबनी	28,90,064
22	मुंगेर	6,05,060
23	मुजफ्फरपुर	29,73,668
24	नालंदा	19,06,820
25	नवादा	13,89,296
26	पटना	29,45,800
27	पूर्णियाँ	19,34,688
28	रोहतास	19,06,820
29	सहरसा	9,55,376
30	समस्तीपुर	27,34,824
31	सारण	25,23,848
32	शेखपुरा	15,900
33	शिवहर	15,900
34	सीतामढी	22,01,400
35	सीवान	22,29,268
36	सुपौल	12,06,188
37	वैशाली	22,57,136
38	प0 चम्पारण	21,61,564
कुल योग :-		5,95,20,888

(₹ पाँच करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार आठ सौ अठासी) मात्र।

(आलोक कुमार)

निदेशक, आई.सी.डी.एस.